वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 127(अ).—जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 मार्च, 1996 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 193(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने भारतीय मेडिकल सेन्टर, 283 टी0टी0के0 रोड, चेन्नई-600018 द्वारा पेरूमलपुरम, पंचायत, जिला कन्याकुमारी, तमिलनाडु में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण, साज-सज्जा तथा उपस्करों की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1997-98 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 14 पर विनिर्दिष्ट किया था; जिसे बाद में26 नवम्बर 1995 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 1174 (अ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था और जिसे बाद में दिनांक 20 सितम्बर 2001 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 923 (अ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था तथा परियोजना की लागत को 162.78 लाख रुपए से संशोधित करके 385.78 लाख रुपए किया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और, जब समाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय मेडिकल सेन्टर, 283 टी0टी0के0 रोड, चेन्नई-600018 द्वारा पेरूमलपुरम, पंचायत, कन्याकुमारी , जिला तमिलनाडु में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण, साज-सज्जा तथा उपस्करों की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन कर निर्धारण वर्षों की आगे की अवधि के लिए अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 26/2005/फा. सं. एनसो-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)